# सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के क्षेत्रान्तर्गत उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनॉक 31.03.2015 तक निर्गत पातन अनुज्ञाओं के विरूद्ध एक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्ष लगाने हेतु जमानत की धनराशि (एन0एस0सी0) अनुज्ञाधारकों द्वारा जमा की है। उपरोक्त तिथि तक निर्गत पातन अनुज्ञाओं के विरूद्ध पातन अनुज्ञाधारियों ने यदि पातन अनुज्ञा में उल्लिखित वृक्षों के दो गुने वृक्ष रोपित कर दिये हो, तो वह सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 20 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र मय अभिलेखों सहित प्रस्तुत कर जमानत वापस प्राप्त करने हेतु उनकी आख्या/संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दें। निर्धारित समयावधि में यदि प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि पातन अनुज्ञाधारको द्वारा पातन अनुज्ञा के विरूद्ध दो गुने पौधों का रोपण नहीं किया गया है और उनकी जमा जमानत की धनराशि राजकीय हित में जब्त कर विभागीय वृक्षारोपण की कार्यवाही की जायेगी। तदोपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(डा0 अनिल कुमार पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर खीरी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/

# उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक– 2833 /37–1(प्रकाशन) दिनाकःलखीमपुर–खीरीः जनवरी 22 /2021

सेवा में,

निदेशक,
सूचना निदेशालय,
निकट प्राणि उद्यान,
हजरतगंज, उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– विज्ञापन।

महोदय,

इस वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनॉक 31.03.2015 तक निर्गत पातन अनुज्ञाओं के विरूद्ध जमा जमानत की धनराशि (एन0एस0सी0) को वापस/जब्त किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। कृपया संलग्न विज्ञापन को जनपद लखीमपुर खीरी एवं उसके आस–पास के जिलों में प्रकाशित होने वाले मुख्य दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, अमर उजाला व हिन्दुस्तान) में एक कॉलम में 07 सेमी0 लम्बाई में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि (सी0डी0 सहित)।

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर खीरी।

पत्रांक 2833 /अ, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर–खीरी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनिल कुमार पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर खीरी।